

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 1977 आषाढ़ 10, 1899

No 229]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 1977/ASADHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st July 1977

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that in the interests of trade it is necessary to take immediate action for discontinuing the preferential rates of revenue duty specified in column (4) of the First Schedule to the said Act in respect of articles, being the produce or manufacture of the United Kingdom, hereby directs that the entries in the said column (4) against the Headings, or Sub-headings of the Headings, of the said First Schedule which are specified in column (2) or, as the case may be, column (3) of the Table annexed hereto shall be omitted.

TABLE

Sl. No.	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Sub-heading No. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
1	2	3
1	12.07	(2)
2	25.01/32	(3)
3	25.01/32	(5)
4	28.01/58	(1)
5	28.01/58	(2)
6	28.01/58	(3)
7	28.01/58	(7)
8	28.01/58	(8)
9	28.01/58	(11)
10	28.01/58	(12)
11	29.01/45	(1)
12	29.01/45	(2)
13	29.01/45	(5)
14	29.01/45	(6)
15	29.01/45	(11)
16	29.01/45	(12)
17	29.01/45	(13)
18	29.01/45	(15)
19	29.01/45	(16)
20	29.01/45	(17)
21	29.01/45	(19)
22	29.01/45	(20)
23	30.01	
24	30.02	
25	30.03	(1)
26	30.03	(2)
27	31.02/05	(1)
28	31.02/05	(2)
29	31.02/05	(8)
30	32.02/03	(1)
31	32.04/12	(1)
32	32.04/12	(2)
33	32.04/12	(7)
34	34.01/07	(3)
35	37.01/08	(1)
36	37.01/08	(4)
37	38.01/19	(2)
38	38.01/19	(5)
39	38.01/19	(6)
40	38.01/19	(7)
41	38.01/19	(9)
42	73.25	
43	73.26	
44	74.03	(2)
45	84.11	(3)
46	84.11	(5)
47	84.15	(2)
48	84.20	(1)
49	84.40	(2)
50	84.41	(2)
51	84.50	(2)
52	84.58	
53	85.01	(3)
54	85.06/07	
55	85.11	(2)
56	85.12	
57	85.14*	
58	85.15	(2)
59	85.16	
60	85.17	

I	2	3
61 . . .	85-18/27	(1)*
62 . . .	85-28	
63 . . .	87-09/12	(1)
64 . . .	87-09/12	(2)
65 . . .	90-07	
66 . . .	90-09	
67 . . .	90-10	
68 . . .	90-14	
69 . . .	90-16	(1)
70 . . .	90-23	(2)
71 . . .	90-24	(2)
72 . . .	90-25	(2)
73 . . .	90-26	
74 . . .	90-27	
75 . . .	90-28	(1)
76 . . .	*90-29	(2)

*Directed to be substituted by clause 31 of the Finance (No. 2) Bill, 1977, read with the Second Schedule thereto, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

[No. 98/F. No. 363/2/77-Cus. I]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएँ

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1977

सां० कां० मि० 432 (अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय के हित में यह आवश्यक है कि उन वस्तुओं के संबंध में, जो यूनाइटेड किंगडम के उत्पाद या विनिर्माण हैं, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट राजस्व शुल्क की अधिमानी दरों को समाप्त करने के लिए अधिलम्ब कदम उठाया जाए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि उक्त प्रथम अनुसूची के उन शीर्षों या शीर्षों के उपशीर्षों के सामने जो इससे उपायद्ध सारणी के स्तंभ (2) या (3) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

सारणी

क्रम सं०	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं०	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० की उप शीर्ष सं०
1	2	3
1.	12.07	(2)
2.	25.01/32	(3)

1	2	3
3	25 01/32	(5)
4	28 01 58	(1)
5.	28 01 58	(2)
6	28 01, 58	(3)
7.	28 01 58	(7)
8.	28 01/58	(8)
9.	28. 01 58	(11)
10	28 01/58	(12)
11.	29 01 45	(1)
12.	29 01 45	(2)
13.	29. 01 45	(5)
14	29. 01 45	(6)
15	29. 01 45	(11)
16.	29. 01 45	(12)
17	29. 01 45	(13)
18.	29 01 45	(15)
19.	29 01 4 5	(16)
20.	29. 01, 45	(17)
21.	29 01 45	(19)
22	29. 0' 45	(20)
23.	30. 01	
24	30. 02	
25.	30. 03	(1)
26.	30 03	(2)
27.	31. 02 05	(1)
28.	31. 02 05	(2)
29	31 02 05	(8)
30	32. 02/03	(1)
31.	32. 04/12	(1)
32.	32 04/12	(2)
33	32. 04/12	(7)
34	34 01/07	(3)
35.	37. 01' 08	(1)
36.	37. 01 08	(4)
37.	38 01/19	(2)
38.	38' 01 19	(5)
39.	38 01' 19	(6)
40	38 01 19	(7)
41.	38 01, 19	(9)
42.	73. 25	

1	2	3
43.	73 26	
44	74 03	(2)
45	84 11	(3)
46.	84 11	(5)
47	84 15	(2)
48	84.20	(1)
49	84 40	(2)
50	84 41	(2)
51	84 50	(2)
52	84 58	
53.	85 02	(3)*
54.	85.06 ¹ 07	
55	85 11	(2)
56	85 12	
57.	85 14*	
58	58 15	(2)
59.	85 16	
60.	85.17	
61.	85 18 27	(1)*
62.	85 28	
63.	87 09 12	(1)
64	87.09/12	(2)
65.	90 07	
66.	90 09	
67.	90 10	
68.	90.14	
69.	90 16	(1)
70	90 23	(2)
71.	90 24	(2)
72.	90 25	(2)
73.	90 26	
74	90 27	
75	90 28	(1)
76	*90 29	(2)

*वित्त (म० 2) विधेयक, 1977 की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित खंड 31 द्वारा, अधिनियमित, जो खंड करो का अनन्तिम सग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक से की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, प्रतिस्थापित।

[स० 98/का० म० 363/2/77-सो० शु० I]

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 351-Customs, dated the 2nd August, 1976 the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of origin of other Preferential Areas) Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Application.—These rules shall apply to articles consigned from other preferential area

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) "Country" means a country or territory declared to be other preferential area
- (c) "expenditure on material" means the cost of the manufacture of the material at the factory or works, including containers but excluding royalties;
- (d) "factory or works cost" means the cost of production to the manufacturer at the factory or works and shall include the value of containers and other forms of interior packing ordinarily sold with an article when it is sold retail, but shall not include the manufacturer's or exporter's profit or the cost of exterior packing, carriage to port and other charges incidental to the export of the article subsequent to its manufacture;
- (e) "other preferential area" means any country or territory declared to be other preferential area under sub-section (3) of section 4 of the Act;
- (f) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962), shall have the meanings, respectively assigned to them in that Act.

4 Produce or manufacture of a country.—No article shall be deemed to be the produce or manufacture of a country, unless the proper officer of customs is satisfied—

- (a) that the article has been consigned from such country; and
- (b) (i) where the article is unmanufactured that it has been grown or produced in such country,
- (ii) where the article is manufactured—
 - (A) that it has been wholly manufactured in such country from material produced in such country; or
 - (B) that it has been wholly manufactured in such country from unmanufactured materials, or
 - (C) that it has been partially manufactured in such country and that the final process of manufacture has been performed in such country and that the expenditure on material produced and labour performed in such country in the manufacture of the article is, in the case of an article specified in the Schedule to these rules, not less than one-half and in the case of other articles, not less than one-quarter, of the factory or works cost of the article in its finished state.

Provided that where the articles are consigned from other preferential area the material produced and labour performed in any other preferential area may be reckoned as though it were material produced or labour performed in the preferential area from which the goods were consigned

Explanation.—For the purposes of clause (b) (ii) (C), the final process of manufacture shall not be deemed to have been performed in any country in which no process other than the process of mixing, bottling, labelling, packing into retail containers or the like has been performed, but where such process as aforesaid has been performed in the country in which the final process of manufacture has also been performed, nothing herein shall render the cost of

such process ineligible for inclusion in the computation of the fraction of the factory or works cost of the article in its finished state which represents expenditure on material produced and labour performed in that country.

5. **Imports by Post.**—No claim that that articles are chargeable with a preferential rate of duty shall be considered by the Assistant Collector of Customs in respect of articles imported by post, unless at the time of arrival in India, such articles are covered by a declaration as to the country of origin entered in the customs declaration form or (in the absence of such a form), on the wrapper of the package.

SCHEDULE

(See rule 4)

1. Sewing and Knitting Machines (and parts thereof) to be worked by manual labour or which require for their operation less than one quarter of one brake-horse-power

2. Cycles (other than motor cycles) imported entire or in sections and parts and accessories thereof, excluding rubber tyres and tubes

3. Motor cars including taxi cabs and articles (other than rubber tyres and tubes) adapted for use exclusively as parts and accessories thereof.

4. Motor omnibuses, chassis of motor omnibuses motor vans and motor lorries, and parts of mechanically propelled vehicles and accessories excluding rubber tyres and tubes

5. Motor cycles and motor scooters and articles (other than rubber tyres and tubes) adapted for use as parts and accessories thereof.

[No 99/F No 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 317-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क टैरिफ (अन्य अधिमानी क्षेत्रों का मूल का होने का अवधारण) नियम, 1977 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम किसी अन्य अधिमानी क्षेत्र से पारेषित वस्तुओं का लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपाक्षत न हो,

(क) “अधिनियम” से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है,

(ख) “देश” से अन्य अधिमानी क्षेत्र के रूप में घोषित देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ग) “सामग्री पर व्यय” से कारखाने या संकर्म में सामग्री के विनिर्माण की लागत, जिसमें कन्टेनर आते हैं किन्तु रायल्टी नहीं आती, अभिप्रेत है ;

(घ) “कारखाने या संकर्म खर्च” से कारखाने या संकर्म में विनिर्माता की उत्पादन लागत अभिप्रेत है और इसमें कन्टेनरों का मूल्य तथा अन्य प्रकार की आन्तरिक पैकिंग जो सामान्यतया वस्तु के साथ तब विक्रय की जाती है जब वह खुदरा में विक्रय की जाती है, आती है। किन्तु इसमें विनिर्माता या

या निर्यातकर्ता का लाभ या बाहरी पैकिंग को लागत, पत्तन तक वहन का खर्च या विनिर्माण के पश्चात् वस्तु के निर्यात से सम्बन्धित आनुषंगिक प्रभार नहीं आते हैं ;

- (ङ) “अन्य अधिमानी क्षेत्र” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अन्य अधिमानी क्षेत्र के रूप में घोषित देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (च) ऐसे शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

4. किसी देश का उत्पाद या विनिर्माण — किसी वस्तु को किसी देश का उत्पाद या विनिर्माण तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक समुचित सीमा-शुल्क अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि —

- (क) उस वस्तु का पारेषण ऐसे देश से हुआ है, तथा
- (ख) (i) जहां वस्तु अविनिर्मित है वहां यह कि वह ऐसी देश में उत्पन्न की गई है या उत्पादित है ,
- (ii) जहां वस्तु विनिर्मित, वहां यह कि —
- (क) वह ऐसे देश में उत्पादित सामग्री से ही उसी देश में पूर्णतः विनिर्मित हुई है ; या
- (ख) ऐसे देश में, अविनिर्मित सामग्री से पूर्णतया विनिर्मित है ,
- (ग) वह ऐसे देश में आंशिक रूप से विनिर्मित हुई है और विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया ऐसे देश में पूरी हुई है, और ऐसे देश में उस वस्तु के विनिर्माण में उत्पादित सामग्री पर तथा लगाए श्रम पर व्यय, इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु की दशा में, वस्तु को अंतिम रूप से तैयार करने पर कारखाने या सकम लागत के आधे से, और अन्य वस्तु की दशा में एक-चौथाई से, कम नहीं है

परन्तु जहां वस्तुओं का पारेषण अन्य अधिमानी क्षेत्र किया जाता है वहां किसी अन्य अधिमानी क्षेत्र में उत्पादित सामग्री और लगाए गए श्रम की गणना में लिया जाएगा मानो वह उसी अधिमानी क्षेत्र में उत्पादित सामग्री या लगाए गए श्रम थे जिसमें माल का पारेषण किया गया था ।

स्पष्टीकरण — खण्ड (ख) (ii) (ग) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्माण की प्रक्रिया ऐसे किसी देश में की गई समझी जाएगी जिसमें सम्मिश्रण करने बोलल में बन्द करने, लेबल लगाने, खुदरा कटनरो में पैक करने या ऐसी ही प्रक्रिया में भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, किन्तु जहां उस देश में जिसमें विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया भविष्य में क की गई है, उन्हे प्रकार क प्रक्रिया की गई हो वह इसमें उपबन्धित कां. 5 बात अंतिम रूप में तैयार की गई वस्तु के कारखाने या सकम लागत के उस अंश की संगणता में, जो उस देश में उत्पादित सामग्री तथा लगाए गए श्रम पर व्यय के रूप में है, सम्मिलित किए जाने से अपात्र नहीं बनाएगी ।

5. डाक से आयात.—डाक से आयातित वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा कोई दावा कि वस्तुएं शुल्क की अधिमानी दर से प्रभार्य है, सहायक सीमा-शुल्क कलेक्टर द्वारा तब तक विचार में नहीं लिया जाएगा जब तक ऐसी वस्तुएं, भारत में पहुंच के समय, सीमा-शुल्क घोषणा के प्ररूप में अथवा (यदि ऐसा कोई प्ररूप नहीं है तो) पैकेज के रैपर पर, दर्ज की गई मूल देश सम्बन्धी घोषणा के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हो।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

1. मिलाई और बुनाई की मशीनें और उनके पुर्जों जो कि हाथ से चलाए जाते हैं या जिनके चलाने के लिए एक ब्रैक हाम पावर के एक-चौथाई से कम पावर अपेक्षित है।

2. पूर्ण रूप में अथवा भागो में आयातित साईकिलें (मोटर-साईकिलों से भिन्न) और उनके पुर्जों तथा उपसाधन, जिसमें रबड़, टायर और ट्यूब सम्मिलित नहीं हैं।

3. मोटर साईकिल, जिसमें टैंकमी गाड़िया तथा वे वस्तुएं भी आती हैं जो अनन्य रूप में उनके पुर्जों और उपसाधनों के रूप में प्रयोग के लिए ग्रहण की जाए (रबड़ टायरों तथा ट्यूबों से भिन्न)।

4. मोटर ओमनीबसे, मोटर ओमनी बसों के चैसिस, मोटर बैन और मोटर गाड़िया, तथा यन्त्र चालित यानों के पुर्जों और उपसाधन, जिसमें रबड़ टायर और ट्यूब सम्मिलित नहीं हैं।

5. मोटर-साईकिलें और मोटर-स्कूटर और उनके पुर्जों और उपसाधनों के रूप में प्रयोग के लिए ग्रहण की गई वस्तुएं (रबड़ टायरों और ट्यूबों से भिन्न)।

[सं० 99 / फा० सं० 363 '2 '77—सी० शु० I]

G.S.R. 434(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the interests of trade so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 349-Customs, dated the 2nd August, 1976

[No 100/F, No 363/2/77-Cus I]

सा० फा० नि० 434(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 349—सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं० 100/ फा० सं० 363 2/77-सी० शु० I]

G.S.R. 435(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), The Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tricycles designed for use by cripple and disabled persons and falling within Chapter 87 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 30 per cent *ad valorem*

[No. 101/F. No 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अन्तर्गत सम्मिलित अर्पण और आशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए डिजाइन की गई ट्राइसिकिलो को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक है।

[स० 101/फा० स० 363 2/77—सी० शु० I]

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts dimethyl terephthalate, falling under Sub-heading No (20) of Heading No. 29.01/45 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of that portion of the duty of Customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of —

- (a) 100 per cent *ad valorem*, where the standard rate of duty is leviable; and
- (b) 90 per cent *ad valorem*, if the article is the produce or manufacture of any country or territory declared by the Central Government under Sub-section 3 of section 4 of the Customs Tariff Act, 1975, as other preferential area

[No 102/F No 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 29 01 45 के उपशीर्ष (20) के अन्तर्गत सम्मिलित डाइमिथाइल टेरे फथोलेट को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जा —

- (क) मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक है, जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है, और
- (ख) यदि वस्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अन्य अभिमानी क्षेत्र के रूप में घोषित किसी देश या राज्यक्षेत्र का उत्पाद या विनिर्माण है तो मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक है।

[स० 102/फा० स० 363 2/77—सी० शु० I]

G.S.R. 437(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Laevo-I-P-nitrophenyl, 2-amino-1,3-Propanodiol (known as "L-Base") falling within Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

[No. 103/F. No. 363/2/77-Cus. I]

सा० का० नि० 437 (अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत सम्मिलित लीबो-1-पी-नाइट्रोफेनाइल, 2, एसिनो-1-3-प्रोपानीडायल (एल-वेस नाम से ज्ञात) को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

[स० 103 फा० सं० 363/2/77-सी० शु० I]

G.S.R 438(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the goods specified in the Schedule annexed hereto and falling within Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of penultimate dye-intermediate, or dyestuff, or both, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 55 per cent *ad valorem*.

Provided that the importer shall execute a bond undertaking to pay on demand an amount equal to the duty which, but for such exemption, would have been leviable on the goods or any part thereof, which have been used for any purpose other than the purpose specified in this notification

2. Every bond referred to in the preceding paragraph shall be for an amount equal to the duty which has not been levied because of the exemption granted by this notification and shall be in such form and with such surety as may be specified by Assistant Collector of Customs

SCHEDULE

- 1 Alpha Naphthylamine
- 2 2-Chloro-4-nitro-aniline
- 3 3, 3'-Dichloro benzidine
- 4 N N, Diethylaniline
- 5 3, 3'-Dichloro Benzidine dihydrochloride
- 6 Meta-dinitro benzene
- 7 Meta nitro chloro benzene
- 8 Ortho-nitro chloro benzene
- 9 Para toluidine-ortho-sulphonic acid [Para toluidine (I-methyl 4-amino) sulphonic acid]
- 10 Para nitro chloro benzene

3 This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1977

[No 104/F. No. 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 438(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत सम्मिलित और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों को, तब जब अन्तिम पूर्व, मध्यवर्ती रजक, या रजक पदार्थ, या दोनों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 55 प्रतिशत से अधिक है

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता एक बंधपत्र नि-पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उस माल पर या उसके किसी भाग पर जिसका प्रयोग इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, उद्ग्रहणीय उतने शुल्क, जो ऐसी छूट के न होने पर उद्ग्रहणीय होता, के समतुल्य रकम माग किए जान पर सद्ध करेगा।

2. पूर्ववर्ती पैरा में निदिष्ट प्रत्येक बंधपत्र उतनी रकम के लिए होगा जो इस अधिसूचना में मजूर की गई छूट के कारण उद्ग्रहीत न किए गए शुल्क के समतुल्य हो और ऐसे प्रतिभू सहित होगा जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अनुसूची

1. अलफा नैपथेलेमाइन
2. 2-क्लोरो-4-नाइट्रो-अनिलाइन
3. 3, 3'-डिक्लोरो बैजीडाइन
4. एन० एन० डाइएथेलेमाइन
5. 3, 3'-डाइक्लोरो बैजीडाइन डाइथेलेमाइलीगड्ड
6. मेटा-डाइनाइट्रो बैजीन
7. मेटा नाइट्रो क्लोरो बैजीन
8. ओर्थो-नाइट्रो क्लोरो बैजीन
9. पारा टोलुइडाइन-ओर्थो-सल्फोनिक एसिड [पारा टोलुइडाइन (आई-मेथाइल 4-अमीनो)-2 सल्फोनिक एसिड]
10. पारा नाइट्रो क्लोरो बैजीन

3. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1977 तक और उस दिन सम्मिलित करते हुए, प्रवृत्त रहेगी।

[स० 104 फा० स० 363/2 77-सी० शु० I]

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported into India for use in the manufacture of ferro-alloys and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No	Description of Article	Chapter No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Rate of duty
1	2	3	4
1	Tungsten ore concentrates	Chapter 26 <i>valorem</i>	35 per cent <i>ad-</i>
2	Molybdenum oxide	Chapter 28 <i>valorem</i>	45 per cent <i>ad-</i>
3	Vanadium pentoxide	Chapter 28 <i>valorem</i>	45 per cent <i>ad-</i>

[No 105/F No 363/2/77-Cus I.]

सां० का० नि० 439(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से प्रत्येक को, जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में उक्त अध्याय के अन्तर्गत आती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, तब जब उनका आयात भारत में फेरो-अल्लोय के विनिर्माण में प्रयोग के लिए किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का वर्णन	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की प्रथम अनुसूची की अध्याय सं०	1975 शुल्क की दर
1	2	3	4
1.	टंगस्टान अयस्क सान्द्र	अध्याय 26	मूल्य का 35 प्रतिशत ।
2.	मोलिब्डेनम आक्साइड	अध्याय 28	मूल्य का 45 प्रतिशत ।
3.	वेनाडियम पेंटोक्साइड	अध्याय 28	मूल्य का 45 प्रतिशत ।

[सं० 105 फा० सं० 363/2/77-सी०शु० I.]

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

TABLE

Sl. No.	Chapter No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Name of Article
1	2	3
1	40	Tubing for mine, face ventilating fan.
2	85	Bulbs for safety mining lamps.
3	82	Friction pit props (other than hydraulic)
4	82	Pit prop withdrawers.
5	85	Lighting fittings (flameproof)
6	84 or 90	Hydraulic and mechanical blasting equipment such as hand operated hydraulic coa blaster
7	85	Trailing cables for coal cutters, drilling equipment and loading equipment.
8	85	Mining telephones (flameproof)
9	84	Flameproof mine ventilation fans (Exhaust)
10	83 or 85	Safety mining lamps
11	85	Safety mining torches
12	84	Hydraulic pit props with checks and bars.

[No 106/F. No. 363/2/77-Cus. I]

सा०का०नि० 440 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उस अध्याय के अन्तर्गत सम्मिलित, जो निम्न सारणी के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से प्रत्येक को तब तक उतका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय सं०	वस्तु का नाम
1	2	3
1.	40	खान मुख वातायन पंखे
2.	85	सेफ्टी मार्निंग लैम्पो के बल्ब
3.	82	फ्रिक्शन पिट प्रोप (हाइड्रोलिक से भिन्न)

1	2	3
4.	82	पिट प्रोप विद्वावर्स
5.	85	प्रकाश फिटिंग (ज्वाला सह)
6.	84 या 90	हाइड्रोलिक या यांत्रिक ब्लास्ट करने के उपकरण जैसे हस्तचालित हाइड्रोलिक कोयला ब्लास्टर।
7.	85	कोयला कटरो ड्रिलिंग उपस्करो और लदाई उपस्करो के लिए ट्रेलिंग केबल
8.	85	खान सबघी टेलीफोन (ज्वाला सह)
9.	84	ज्वालासह खान वातायन पखे (एग्जास्ट)
10.	83 या 85	सेफ्टी माइनिंग लैम्प
11.	85	सेफ्टी माइनिंग टोरचे
12.	84	हाइड्रोलिक पिट प्रोप, चैको और बारो सहित।

[सं० 106/फा० सं० 363/2/77-सी०शु०I]

G S.R 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under the Heading or Sub-heading of the Headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 30 per cent *ad valorem*.

TABLE

Serial No. Heading No or Sub-Heading No. of Heading Customs Tariff Act, 1975. No of the First Schedule to the

1	2
1	73*01
2	73*02
3	73*03/05
4	Sub-Heading No (1) of Heading No. 73*06/07
5	73*08
6	73*09
7	73*10
8	73*11
9	73*12
10	Sub-heading No (1) of Heading No. 73.13
11	73*16
12	73*21
13	Sub-heading No (2) of Heading No. 73*29.
14	73*30

सांका० लि० 441 (प्र) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन शीर्षों या शीर्षों के उपशीर्षों जो इससे उपावद्ध सारणी के स्तभ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, के अन्तर्गत सम्मिलित मालों को, तब जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक है ।

सारणी

क्रम सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष सं० या शीर्ष सं० की संख्या उपशीर्ष सं०

1	2
1.	73 01
2.	73. 02
3.	73 03. 05
4.	शीर्ष सं० 73. 06 '07 की उप शीर्ष सं० (1)
5.	73. 08
6.	73 09
7.	73. 10
8.	73. 11
9.	73 12
10	शीर्ष सं० 73. 13 की उपशीर्ष सं० (1)
11.	73. 16
12	73. 21
13.	शीर्ष सं० 73. 29 की उपशीर्ष सं० (2)
14.	73. 30

[सं० 107/फा० सं० 363 2/77-सी० शु० I]

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Headings or Sub-headings of the Headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

THE TABLE

Serial No. Heading No. or Sub-heading No. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975

1	2
1	Sub-heading No. (1) of Heading No 74 03
2	Sub-heading No (2) of Heading No. 74 03
3	74 04/05
4	74 06
5	Sub-heading No. (1) of Heading No. 74 07/08.
6	Heading No. 74 09/19

[No 108/F. No. 363/2/77-Cus I]

सांकांनि० 442(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन शीर्षों या उपशीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट है, मालों को तब जब उनका आयात भारत में किया जाए उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक है ।

सारणी

क्रम सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं० की संख्या

1	2
1.	शीर्ष सं० 74.03 की उपशीर्ष सं० (1)
2.	शीर्ष सं० 74.03 की उपशीर्ष सं० (2)
3.	74.04/05
4.	74.06
5.	शीर्ष सं० 74.07/08 की उपशीर्ष सं० (1)
6.	शीर्ष सं० 74.09/19

[सं० 108/फा० सं० 363/1/77-सी०/शु० I]

G.S.R 443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts electrolytic copper rods or black copper rods (in coils), falling within Chapter 74 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

[No. 109/F. No 363/2/77-Cus I]

सांका० नि० 443 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 74 के अन्तर्गत सम्मिलित विद्युत ताबे की छड़े या ब्लैक ताबे की छड़े (कुण्डलित) को जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है ।

[सं० 109 फा० सं० 363 2 77-सी० शु० I]

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts complete wireless receivers falling within Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India and proved to the satisfaction of the proper Officer of customs to be required for permanent fitment on aeroplanes, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 4 per cent *ad valorem*

[No 110/F. No 363/2/77-Cus I.]

सांका० नि० 444 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अन्तर्गत सम्मिलित पूरे बेतार-तार ग्रहण यंत्रों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, और सीमा-शुल्क के समुचित अधिकारों के समाधान प्ररूप में यह साबित कर दिया जाए कि वे विमानों में स्थायी रूप से संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित है उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है ।

[सं० 110 फा० सं० 363 2 77-सी० शु० I]

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts complete wireless receivers falling within Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India and proved to the satisfaction of the proper Officer of customs to be required for permanent fitment on aircrafts (other than aeroplanes), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 40 per cent *ad valorem*

[No 111/F. No 363/2/77-Cus I.]

सांका० नि० 445 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अन्तर्गत सम्मिलित पूरे बेतार-तार यंत्रों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए और सीमा-शुल्क के समुचित अधिकारों के समाधान प्ररूप में यह साबित कर दिया जाए कि वे वायुयानों (विमानों से भिन्न) में स्थायी रूप से संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित हैं । उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है ।

[सं० 111/फा० सं० 363 2 77-सी० शु० I]

G.S.R. 446(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts articles specified in the Schedule annexed hereto and falling within Chapter 37 or Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 40 per cent *ad valorem*

SCHEDULE

1. Standard precision process cameras for preparing process and photo litho blocks and component parts thereof not capable of being put to any other use
2. Glass screens, half-tone screens and neutral contact screens used in printing processes

[No. 112/F. No. 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 446—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, और इसमें उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 37 या अध्याय 90 के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं को जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग में छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

अनुसूची

संसाधन और फोटो लिथो ब्लॉक और उनके संघटक
भागों को जो और किसी उपयोग में नहीं लाए जा सकते
तैयार करने के लिए मानक परिशुद्धि कैमरे
मुद्रण प्रक्रियाओं में प्रयोग की जाने वाली काच स्क्रीन हाफ
टोन स्क्रीन और न्यूट्रल कॉन्टैक्ट स्क्रीन

[स० 112/फा० स० 363/2/77सीमा शुल्क]

G.S.R. 447(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts hearing aid appliances falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 10 per cent *ad valorem*

[No. 113/F. No. 363/2/77-Cus I.]

सा० का० नि० 447 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के अन्तर्गत सम्मिलित श्रवण सहाय्य उपकरणों को, जब उनका आयात भारत में किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय के उतने भाग में छूट देती है जो मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

[स० 113/फा० स० 373/2/77 सी० शु० I]

G.S.R. 448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts, other than primary cells and primary batteries, of hearing aids, being hearing aids (deaf-aids) falling under Heading No 90 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), imported solely for the manufacture of such aids, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 10 per cent *ad valorem*.

Provided that the importer by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself, to pay on demand in respect of such parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No 114/F.No 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 448^२(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 90.19 के अन्तर्गत सम्मिलित श्रवण सहाय्य उपकरणों के संघटक पुर्जों को (प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी से भिन्न) जो श्रवण सहाय्य (बधिर सहाय्य) भी है को जब उनका आयात मात्र ऐसे सहाय्यों के विनिर्माण के लिए भारत में किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह पुर्जों को ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रारूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, तो वह मांग पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करते समय पहले ही सदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 114/फा० सं० 363/2/77-सी०शु० I]

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of hearing aids, falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are essential for the working of hearing aids and have been given for that purpose some special shape or qualify which would not be essential for use for any other purpose when imported by a handicapped person for his own use or by or on behalf of an association for the handicapped from so much of that portion of the duty of customs which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 10 per cent *ad valorem*.

[No 115/F.No 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 449 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के अन्तर्गत सम्मिलित श्रवण सहाय्यों के उन संघटक भागों को, जो श्रवण सहाय्यों को चलाने के लिये

अनिवार्य है और जिन्हें उसी प्रयोजनार्थ किसी ऐसे विशेष आकार या क्वालिटी का बनाया गया है जो किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तब जब किसी शारीरिक रूप से अशुविधाग्रस्त व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग के लिए या शारीरिक रूप से अशुविधाग्रस्त व्यक्तियों के किसी मंगम द्वारा या उसके निमित्त उनका आयात भारत में किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

[सं 115 फा० सं 363/2/77-सी० शु० I]

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the interests of the trade so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 323-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely —

In the Table annexed to the said notification, Serial No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted

[No 116/F No. 363/2/77-Cus I]

सा० फा० नि० 450(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग को अधिसूचना सं० 323-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं 116 फा० सं 363/2/77-सी० शु० I]

G.S.R. 451(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts Caprolactam falling under Sub-heading No (20) of Heading No 2901/45 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of —

(a) 75 per cent *ad valorem*, where the standard rate of duty is leviable, and

(b) 65 per cent *ad valorem*, if the article is the produce or manufacture of any country or territory declared by the Central Government under sub-section (3) of Section 4 of the Customs Tariff Act, 1975, as other preferential area.

[No. 117/F, No 363/2/77-Cus I]

सा० फा० नि० 451(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं० 29.01/45 के उपशीर्ष (20)

के अन्तर्गत सम्मिलित केप्रोलेक्टम को, जब उनका आयात भारत में किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो—

- (क) जहा शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है, वहा मूल्यानुसार 75 प्रतिशत से, और
- (ख) यदि वस्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अन्य अधिमानी क्षेत्र के रूप में घोषित किसी देश या राज्य क्षेत्र का उत्पन्न या विनिर्माण है तो मूल्य के 65 प्रतिशत से अधिक है ।

[सं० 117 फा० सं० 363/2 77-सी० शु० I]

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 31 of the Finance (No 2) Bill, 1977, which clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 76-Customs, dated the 18th June, 1977, namely:—

In the said notification—

- (1) in clause (a), the word “and” occurring at the end shall be omitted,
- (2) clause (b) shall be omitted,
- (3) in the Table, against serial Nos 4, 6 and 8, the entries in column (4) shall be omitted.

[No 118/F No. 363/2/77-Cus I]

सा० का० नि० 452 (अ)—केन्द्रीय सरकार वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के खण्ड 31, जिस खण्ड को, अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के फलस्वरूप विधि का बल प्राप्त है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 76-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में—

- (1) खण्ड (क) में, अन्त में आये हुए, “और” शब्द का लोप किया जाएगा,
- (2) खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा,
- (3) सारणी में, क्रम सं० 4, 6 और 8 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[सं० 118 फा० सं० 363/2/77-सी० शु० I]

G.S.R. 453(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or in the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in the Schedule below —

THE SCHEDULE

- 1 No 102—Customs, dated the 16th May, 1957.
- 2 No 170—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 3 No 171—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 4 No 172—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 5 No 212—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 6 No 214—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 7 No 252—Customs, dated the 2nd August 1976.
- 8 No 255—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 9 No 261—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 10 No 263—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 11 No 279—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 12 No 287—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 13 No 291—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 14 No 297—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 15 No 304—Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 16 No 305—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 17 No 306—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 18 No 307—Customs, dated the 2nd August, 1976
- 19 No 17—Customs, dated the 24th January, 1977.

[No 119/F. No 363/2/77-Cus I]

B C RASTOGI, Dy Secy

सां. कां. निं. 453(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के यथास्थिति, (राजस्व विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिमूचनाओं को विखण्डित करती है :—

अनुसूची

1. सं. 102—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1957
2. सं. 170—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3. सं. 171—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
4. सं. 172—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
5. सं. 212—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
6. सं. 214—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
7. सं. 252—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
8. सं. 255—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
9. सं. 261—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
10. सं. 263—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976

11. सं० 279—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
12. सं० 287—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
13. सं० 291—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
14. सं० 297—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
15. सं० 304—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
16. सं० 305—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
17. सं० 306—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
18. सं० 307—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
19. सं० 17—सीमाशुल्क, तारीख 24 जनवरी, 1977

[सं० 119/का० सं० 363 '2'77-सी० शु० I]

वी० सी० रस्तोगी, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977